श्रेष्ठ सुप्रभात

एक बड़ी कठिनाई महसूस करने का मतलब सफलता की ओर एक बड़ी छलांग है।

-आचार्य महाश्रमण

NEXT™

NEWS EXCELLENT TODAY

तापमान (डिग्री सेल्सियस)

	अधिकतम	न्यूनतम
श्रीडूंगरगढ़	25.0	7.0
बीकानेर	26.0	6.0
जयपुर	25.0	8.0

E- Paper NEXT 0047

newsexcellenttoday.com | 27 जनवरी 2025, सोमवार | माघ, कृष्ण पक्ष त्रयोदशी - 2081

76वें गणतंत्र दिवस पर हुए भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम, उत्कृष्ट कार्यों के लिए हुआ सम्मान

NEXT | श्रीडूंगरगढ़

श्रीडूंगरगढ़ में 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जगह-जगह ध्वज फहराने के साथ भव्य सांस्कृतिक आयोजन आयोजित हुए। इस गणतंत्र दिवस पर सरकारी कार्यालयों, राजनैतिक कार्यालयों, सामाजिक संगठनों द्वारा ध्वज फहराया गया और उपखण्ड स्तर पर उत्कृष्ठ कार्यों के लिए विभिन्न क्षेत्रों के 56 व्यक्तित्वों का सम्मान किया गया। इसके साथ ही राष्ट्रीय, राज्य और जिलास्तर पर भी श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तित्वों और निवासियों का सम्मान हुआ।

क्षेत्र का सबसे बड़ा उपखण्ड स्तरीय आयोजन रूपादेवी स्कूल के खेल मैदान में आयोजित हुआ। एसडीएम उमा मित्तल ने ध्वज फहराया और मार्चपास्ट को सलामी दी।

इस दौरान 56 व्यक्तित्वों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में राज्यमंत्री रामगोपाल सुथार, पालिकाध्यक्ष मानमल शर्मा, विधायक प्रतिनिधि भवानीप्रकाश, सीओ निकेत पारीक, सीआई जितेंद्र स्वामी, तहसीलदार कुलदीप मीणा, नायब तहसीलदार सुरजीत धायल, ईओ अविनाश शर्मा, सीबीईओ ओमप्रकाश प्रजापत, रूपा देवी स्कूल से उमाशंकर सारण मंचस्थ रहे।

श्रीडूंगरगढ़ न्यायालय में एसीजेएम हर्ष कुमार द्वारा ध्वज फहराया गया। इस दौरान अधिवक्ता,कोर्ट स्टाफ मौजूद रहे।

नगरपालिका में पालिकाध्यक्ष मानमल शर्मा ने ध्वज फहराया। इस दौरान राज्यमन्त्री रामगोपाल सुथार, भाजपा नेता विनोदगिरी गुसाईं सहित पार्षद व पालिका कार्मिक मौजूद रहे।

इस दौरान कार्मिकों का सम्मान हुआ।

सीओ कार्यालय में सीओ निकेत पारीक व पुलिस थाने में

थानाधिकारी जितेन्द्र स्वामी ने ध्वज फहराया।

जिला शिक्षा अधिकारी गजानंद सेवग का हुआ जिलास्तरीय सम्मान

सेसोमूं में हुआ रंगारंग कार्यक्रम

ट्रॉमा निर्माण संघर्ष समिति के धरना स्थल पर समिति के कार्यकर्ताओं ने ध्वज फहराया। इस दौरान आशीष जाड़ीवाल, भंवरलाल प्रजापत, मदनलाल प्रजापत, हरिप्रसाद सिखवाल, रामकिशन गावड़िया, प्रकाश गांधी, राजेन्द्र प्रसाद स्वामी, अयूब,भरत लखासर, बाबूलाल, सोनिया राजपुरोहित, राजाराम गोदारा, गौरी शंकर स्वामी, आनंद जोशी, अलिशेर काजी, शौकीन काजी, सोहनलाल महिया, आदुराम बाना, रामनिवास बाना, पवन माली व अनिल प्रजापत मौजूद रहे।

श्रीडूंगरगढ़ हुआ गौरवान्वित सराहनीय सेवाओं के लिए श्रीडूंगरगढ़ के व्यास को मिला राष्ट्रपति पदक

NEXT | श्रीडूंगरगढ़

गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के 30 अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से अलंकृत किया जाएगा। इस सम्मान के क्रम में श्रीडूंगरगढ़ के व्यक्ति का सम्मान किया गया है। सीआईएसएफ के इंस्पेक्टर और श्रीडूंगरगढ़ कस्बे के आडसर बास निवासी धर्मचन्द व्यास को आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किया गया है। इनमें सी आई एस एफ के 2 अधिकारियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक, 24 अधिकारियों को सराहनीय सेवा के लिए पदक और 4 अधिकारियों को फायर सर्विस में सराहनीय सेवा के लिए पदक के लिए चयनित किया गया है।

इंस्पेक्टर धर्मचंद व्यास ने NEXT को बताया कि "मैंने खेल कोटा से सीआईएसएफ की नौकरी प्राप्त की। सन 1988 से में इस संगठन का हिस्सा हूँ। इससे पहले मैंने पुलिस खेलों में साथियों के साथ कई पदक हासिल किए।

अब मुझे राष्ट्रपति पदक से नवाजा गया है, जिसके लिए मैं सभी के प्रति कृतज्ञ हूँ।

श्रीडूंगरगढ़ न्यायालय का महत्त्वपूर्ण निर्णय

भूमि विक्रय विवाद में वादी के पक्ष में फैसला, विक्रय पत्र निरस्त

न्यायाधीश ने कहा: खरीददार सावधान रहें

NEXT | श्रीडूंगरगढ़

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश जयपाल जाणी की अदालत ने शुक्रवार को एक लंबित भूमि विवाद में महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाया। और विक्रय पत्र निरस्त किया। न्यायालय ने अपने निर्णय में विधि के सिद्धांत का यह भी उल्लेख किया कि क्रेता सावधान रहो।

विक्रय पत्र को निरस्त करने का प्रकरण: वादी सुमेरमल डागा ने अपने अधिवक्ता मोहनलाल सोनी के माध्यम से एक दावा विधि विरुद्ध किये गए विक्रय पत्र को निरस्त करने बाबत न्यायालय में पेश किया था। जिसमें आरोप लगाया गया था कि प्रतिवादी मेघराज डागा के मुख़्तार आम ओमप्रकाश व्यास ने संजू देवी पत्नी पवन कुमार मोदी निवासी मोमासर बास श्रीडूंगरगढ़ के पक्ष में जो भूमि का विक्रय किया है वह विधि विरूद्ध है।

वादी द्वारा वादपत्र में लगाए गए आरोपों के अनुसार मेघराज ने विवादित भूखण्ड को मौखिक हिस्से पाँति में आई भूमि बताकर विक्रय किया है। जो विक्रय पत्र अवैध और शून्य है। वादपत्र के अनुसार, मोमासर बास में 2436 दरगज भूमि का पट्टा मानिकचंद व उसके भाई नेमीचंद के नाम से जारी किया गया था। सन 1968 में नेमचंद डागा के पुत्र गुलाबचंद ने अपने हिस्से की 1218दरगज भूमि हरिसिंह को विक्रय कर दी। इस प्रकार जो शेष भूमि रही, वह भूमि नेमीचंद के भाई मानिकचंद की रही। परन्तु सन 2006 में मेघराज डागा ने अपने आपको नेमीचंद का परपौत्र बताते हुए उक्त भूखण्ड को अपने पैतृक भूमि को अपने मौखिक हिस्से पाँति में आई भूमि बताकर, 1218वर्गफुट भूमि को संजुदेवी पत्नी पवनकुमार मोदी निवासी श्रीडूंगरगढ़ को जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र विक्रय कर दी।

एडवोकेट मोहनलाल सोनी की सहयोगी एडवोकेट दीपिका करनाणी ने बताया कि उक्त संजू देवी मोदी के पक्ष में किये गए रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र को न्यायालय में निरस्त करने हेतु सुमेरमल डागा की तरफ से एक दावा प्रस्तुत किया गया। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश जयपाल जाणी ने दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय पारित किया और संजू देवी मोदी के पक्ष में किये गए विक्रय पत्र को निरस्त कर दिया। और उपपंजीयक श्रीडूंगरगढ़ को आदेश दिया कि उक्त संजू देवी मोदी के पक्ष में किये गए विक्रय पत्र को निरस्तीकरण का नोट अंकित करे। साथ ही, खरीददार संजू देवी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया कि वह खरीदशुदा भूमि में प्रवेश न करे। वादी की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता मोहनलाल सोनी ने और सहयोगी एडवोकेट दीपिका करनाणी ने की।

NEXT यह आग्रह करना चाहता है कि आमजन जब भी कोई अचल संपत्ति खरीदे तो यह जरूर ध्यान दें कि विक्रेता को अचल संपत्ति विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है या नहीं। अगर, कोई व्यक्ति मौखिक हिस्सा पाँति का कहकर अचल संपत्ति विक्रय करे तो ऐसी अचल संपत्ति को क्रय करने से बचे ताकि भविष्य में कोई विवाद न हो और ना ही विक्रय पत्र निरस्त हो।